VERMONT
DEPARTMENT OF HEALTH

वर्मोन्ट में विवाह करना

वर्मोन्ट में विवाह करने के आपके प्लान में मदद के लिए सवाल और जवाब

1. **वर्मोन्ट में कौन लोग विवाह कर सकते हैं?**

   ऐसे दो व्यक्ति जिनकी आयु कम से कम 18 साल हो, वे वर्मोन्ट में सिविल मैरिज (कोर्ट मैरिज) कर सकते हैं.

2. **वहां शादी करने के लिए और भी कोई पाबंदी है क्या?**

   ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभिभावक की देखरेख में हो, वह अपने अभिभावक की लिखित सहमति के बगैर विवाह नहीं कर सकता है. साथ ही वर्मोन्ट में अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति नहीं है. जैसे कि कोई अपने माता-पिता, दादा-दादी, बहन, भाई, बच्चे, पोता-पोती या नाती-नातिन, भांजी या भतीजी, भांजा या भतीजा, चाचा या चाची से विवाह नहीं कर सकता/सकती है. कोई व्यक्ति ऐसे हालात में भी किसी और से विवाह नहीं कर सकता है, यदि वह फ़िलहाल किसी के साथ विवाहित हो या उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति किसी और के साथ नागरिक संघ कानून के तहत साथ हों. कानूनन दोनों व्यक्तियों का बालिग़ होना अनिवार्य है.

3. **क्या हमें मैरिज लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी? क्या हमें ब्लड टेस्ट भी करवाना होगा?**

   आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, मगर ब्लड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ आपको इंतेज़ार भी नहीं करना होगा.

4. **हमें मैरिज लाइसेंस कहां से मिलेगा और इसके लिए कितनी कीमत चुकानी होगी?**

   आप वर्मोन्ट के किसी भी नगरीय/शहरी किरानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं और इसकी कीमत $80 होती है. यह लाइसेंस जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक के लिए मान्य होगा. इस समयकाल के दौरान, किसी अधिकृत व्यक्ति को आपका विवाह समारोह संपन्न करवाना होगा — अन्यथा, लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाएगी.

5. **हमें मैरिज लाइसेंस लेने के लिए किस तरह की जानकारी देना अनिवार्य है?**

   आप दोनों की मौलिक जानकारी (नाम, स्थाई पता, निवास स्थान और जन्मतिथि) के अलावा, आपको अपने माता-पिता का नाम, अपनी माता का मूल नाम (विवाह से पहले का नाम) और उनके जन्म स्थान सहित बताना होगा. आप दोनों के जन्म प्रमाणपत्र से उपरोक्त कई जानकारी हासिल हो सकती है. आप दोनों से पहले किए गए विवाहों और सिविल यूनियन की संख्या और वे रिश्ते कैसे और कब ख़त्म हुए यह बताने के लिए भी कहा जाएगा. यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसे मैरिज सर्टिफ़िकेट में जोड़ा नहीं जाएगा. वर्मोन्ट के कानून के तहत यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपने द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता को प्रमाणित करते हुए आवेदन पर हस्ताक्षर करें. टाउन क्लर्क यह पुष्टि करने के लिए आवेदन की समीक्षा करेगा कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी कहीं यह तो नहीं दर्शाती है कि आपको वर्मोन्ट में विवाह करने की अनुमति नहीं है और यह भी कि आप दोनों ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं. यदि आप दोनों में से कम से कम कोई एक टाउन क्लर्क के सामने लाइसेंस पर हस्ताक्षर करता है, तो फिर उसके बाद वह क्लर्क लाइसेंस जारी कर देगा.

6. **यदि हम दोनों में से कोई पहले विवाहित हो या सिविल यूनियन में हो तो ऐसे में क्या होगा?**

   यदि आपके पति, पत्नी या सिविल यूनियन पार्टनर की मृत्यु हो गई हो, तो आप विवाह कर सकते हैं. ऐसे हालात में टाउन क्लर्क आपसे आपके जीवनसाथी या सिविल यूनियन पार्टनर की मृत्यु की तारीख़ पूछेगा. यदि आप तलाक़शुदा हैं, तो कानूनी तौर पर जिस दिन अपकी शादी से तलाक़ होता है या सिविल यूनियन से अलग होते हैं, तो उस दिन के बाद आप विवाह कर सकते हैं. यदि आप दोनों पहले से ही सिविल यूनियन के तहत साथ रह रहे हैं, तो आप एक-दूसरे से विवाह कर सकते हैं.

7. **क्या ईमेल के ज़रिए यह लाइसेंस जारी किया जा सकता है? क्या हम कहीं और रहकर विवाह कर सकते हैं?**

   नहीं. मैरिज लाइसेंस ईमेल के ज़रिए से जारी नहीं किया जा सकता है और आप कहीं और रहकर विवाह नहीं कर सकते हैं.

8. **हमारा विवाह कहां पर होगा?**

   वर्मोन्ट का एक वैध मैरिज लाइसेंस होने के बाद, आप पूरे वर्मोन्ट में कहीं भी अपना विवाह कर सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ वर्मोन्ट में ही.

9. हमारा विवाह कौन करवा सकता है? क्या हमें गवाह रखने की भी आवश्यकता होगी?

कोई सुप्रीम कोर्ट जज, उच्च न्यायालय का जज, जिला कोर्ट का जज, प्रोबेट का जज, सहायक जज, छोटे मामलों का जज या वर्मोन्ट में रहने वाला पादरी वर्ग का कोई नियुक्त या लाइसेंस प्राप्त सदस्य आपका विवाह समारोह संपन्न करवा सकता है. आसपास के राज्य या देश में रहने वाला पादरी या उसके सामान कोई व्यक्ति आपका विवाह करवा सकता है यदि उसका चर्च, मंदिर, मस्जिद, या अन्य धार्मिक स्थल पूरी तरह या आंशिक रूप से वर्मोन्ट में पड़ता हो. इसके अलावा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो विवाह में अस्थायी गवाह बनने के लिए राज्य सचिव के पास पंजीकरण करा सकता है. वह व्यक्ति जिस ने पंजीकरण फॉर्म भरा हो और जिसने $100 के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया हो, उसे वर्मोन्ट में होने वाले उस विवाह को संपन्न करवाने के लिए अधिकृत करने वाला एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा. उस विवाह को संपन्न करवाने का उस व्यक्ति दिया गया अधिकार संबंधित लाइसेंस के साथ ही समाप्त हो जाएगा. अधिकृत व्यक्ति बनने के लिए रजिस्टर करने की जानकारी पाने के लिए, https://sos.vermont.gov/ पर जाएं या 802-828-2363 पर कॉल करें. वर्मोन्ट की कानून व्यवस्था में इस प्रक्रिया के लिए गवाह का होना आवश्यक नहीं है, मगर, यदि आप धार्मिक परंपरा के अनुरूप विवाह करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी हासिल कर लें कि उस धार्मिक परंपरा के अनुसार गवाह की आवश्यकता है या नहीं.

10. लाइसेंस का हम क्या करेंगे? विवाह संपन्न हो जाने के बाद हम इसका क्या होगा?

कानूनी तौर पर, आप दोनों का लाइसेंस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और विवाह की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उस लाइसेंस को उस व्यक्ति को दे देना है जो आपका विवाह समारोह संपन्न करवाएगा. समारोह के बाद, जो व्यक्ति समारोह को संपन्न करवाएगा (अधिकृत व्यक्ति) विवाह की तिथि, स्थान और अपनी खुद की जानकारी उसमें दर्ज करेगा और आपके लाइसेंस पर हस्ताक्षर करेगा. तब जाकर, वह लाइसेंस मैरिज सर्टिफ़िकेट बन जाएगा. विवाह संपन्न हो जाने के बाद अधिकृत व्यक्ति द्वारा 10 दिनों के भीतर उस सर्टिफिकेट को उसी टाउन क्लर्क के ऑफ़िस में वापस से जमा करना होगा जहां से इसे जारी किया गया था, ताकि आपकी शादी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया जा सके. यदि अधिकृत व्यक्ति को राज्य सचिव के पास से अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया हो, तो राज्य सचिव द्वारा जारी अधिकृत किए जाने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए और क्लर्क के ऑफ़िस में वापस जमा की जानी चाहिए.

11. हमें अपने मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी कैसे मिलेगी?

जिस समय आप अपना मैरिज लाइसेंस लेते हैं, उसी समय टाउन क्लर्क से आप यह अनुरोध कर सकते हैं कि जैसे ही आपका विवाह से जुड़े आधिकारिक कार्य हो जाए, वह आपके मैरिज सर्टिफ़िकेट की प्रमाणित कॉपी आपको भेज दे. इसके लिए $80 का भुगतान कर लाइसेंस लेते समय सर्टिफ़िकेट की प्रमाणित कॉपी पाने हेतु $10 और देना होता है यानी कि ($10 + $80 = $90). या फिर, विवाह हो जाने के दो सप्ताह या उससे अधिक समय के बाद, उसी टाउन क्लर्क के ऑफ़िस से जहां से आपने अपना लाइसेंस लिया था, आप खुद जाकर या लिखित रूप से अतिरिक्त कॉपी का अनुरोध कर सकते हैं, वहां आपको $10 का ही शुल्क देना होगा. इसके अलावा, आपका विवाह हो जाने के छः या उससे अधिक सप्ताह बाद, आप खुद जाकर या लिखित रूप से वर्मोंट स्वास्थ्य विभाग, वाइटल रिकॉर्ड्स ऑफ़िस से $10 देकर एक प्रमाणित कॉपी का अनुरोध कर सकते हैं. किसी भी माध्यम से जाने पर, आपको ऑरिजिनल सर्टीफ़िकेट की एक कॉपी ही प्रदान की जाएगी, जिस पर शहर या राज्य की मुहर लगी होगी तथा उपयुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और तारीख अंकित होगी.

1 जुलाई 2023 को अद्यतित